APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत न्यायालय ADM मुकाम झुंझुनू

गौरगराम / घनसीराम बनाम ग्राम-पंचायत रघुनाथपुर

किस्म मुकदमा द.प्रा.-5 नं. 65 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.8.18	यह प्रा. पत्र श्री मनोहरलाल सैनी एड. द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। अनावेदकगण की तलबी प्रस्तुत तलबाना पर जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 8.10.18 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
8/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनां. 26/10/18 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
26/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16-11-18 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
16-11-18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9-1-19 को पेश हो अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
9-1-19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28-1-19 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
28.1.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.2.19 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-12-19	उभय वकील पक्षकारान उपस्थित। मैंने प्रार्थना-पत्र धारा-5 मियाद अधि० का अवलोकन किया। निगरानीकार ने पट्टा संख्या-3 दिनांक 3-12-1999 ग्राम पंचायत खानपुर को इस न्यायालय में चुनौती करीब 20 वर्ष बाद की है जिसके साथ धारा-5 मियाद अधि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना पत्र के समर्थन में निगरानीकार ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। धारा-5 मियाद अधि० के प्रार्थना पत्र में दिनांक 30/11/2018 में जानकारी होना अंकित किया है। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि पंचायत अधिनियम में कोई समय सीमा तय नहीं है निगरानी में समय सीमा नहीं देखी जायेगी गुणावगुण/मेरिट देखी जायेगी। तथा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत WLC 2000 (2) राज. H.C पेज-1 DNG RaJ 2018 (1) पेज 111 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि पट्टे की जानकारी निगरानीकार को हमेशा से रही है निगरानी 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। मा. उच्च न्यायालय के निर्णय बृजलाल बनाम राज. सरकार RLW 1999(3) राज 1390 में यह व्यवस्था दी है कि जहां परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं है उस मामले में युक्ति-युक्त समय एक अथवा 2 वर्ष तक ही हो सकती है। अपने कथनों के समर्थन में DNJ-2012 (2) RaJ 602, DNJ 2015 (4) RaJ 1853 न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर तय होना है और जहां प्रकरण में मेरिट हो, वहां देरी कोई मायने नहीं रखती। विद्वान अधिवक्ता	

Scanned by CamScanner

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकदमा ____________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत WLC राज. 2000 (2) राज उच्च न्यायालय जोधपुर इस प्रकरण में चस्पा होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना-पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा मूल निगरानी के संलग्न हो। Sd अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.06 13:18:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: